

## **Notice for customers holding accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Scheme**

Please note that the **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)** is a flagship scheme of the Government, implemented by the Department of Financial Services (DFS). There is no provision of disbursement of loans under this scheme from the Government / Department.

**Please do not respond to any advertisement from any individual / entities promising disbursement of loans under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Scheme.**

For any loan requirement, we request you to approach your Bank.

### **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत खाते रखने वाले लोगों के लिये सूचना**

कृपया ध्यान दें कि **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे वित्तीय सेवा विभाग (DFS) द्वारा कार्यान्वित किया गया है। सरकार/विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत ऋण जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

**कृपया प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत ऋण जारी करने का वादा करने वाले किसी भी व्यक्ति/संगठन को कोई जवाब न दें।**

ऋण की कोई भी आवश्यकता होने पर, हम आपसे अपने बैंक से संपर्क करने का निवेदन करते हैं।

### **প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই) স্কিমের অধীনে অ্যাকাউন্ট ধারক গ্রাহকদের জন্য বিজ্ঞপ্তি**

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে **প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই)** হল সরকারের একটি ফ্ল্যাগশিপ স্কিম, যা ডিপার্টমেন্ট অফ ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (ডিএফএস) দ্বারা বাস্তবায়িত করা হয়েছে। সরকার / বিভাগ থেকে এই প্রকল্পের অধীনে লোন বিতরণের কোনো ব্যবস্থা নেই।

**অনুগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই) স্কিমের অধীনে লোন প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয় এইরকম কোনও ব্যক্তির / সত্ত্বার কোনও বিজ্ঞাপনে সাড়া দেবেন না।**

যে কোনো ধরনের লোনের প্রয়োজনে, আমরা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি।